न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

क्रमांक – रीडर/2018/1410 दिनांक 15/6/18

प्रेषित :–

तहसीलदार सेड़वा

विषय :– राजस्व आवेदन सं. 145/17 अनवान रामलाल वगैरा बनाम करनाराम वगैरा न्यायालय के निर्णय दिनांक 11.06.2018 की पालना करने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस न्यायालय में विचाराधीन आवेदन सं. 145/17 अन्तर्गत धारा 251 (क) Rt Act में निर्णय दिनांक 11.06.2018 को पारित किया गया है। न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.06.2018 की पालना करते हुए पालना रिपोर्ट की सूचना 15 दिवस में पेश करे।

संलग्न – निर्णय की प्रमाणित प्रति।

सहायक कलक्टर चौहटन

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी चौहटन

सहायक कलक्टर चौहटन

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी –श्री भूपेन्द्र कुमार यादव, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन :– 145/17 अन्तर्गत धारा 251 'क' Rt Act

अनवान :–

रामलाल वगैरा **बनाम** करनाराम वगैरा

वकील प्रार्थीगण :– श्री बाबूलाल विश्नोई

निर्णय

दिनांक 11.06.18

प्रार्थीगण रामलाल पुत्र ठाकराराम वगैरा जाति विश्नोई, निवासी रोहिला, तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत 251 (क) राजस्थान काश्तकारी / संशोधन अधिनियम के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण सदभावी काश्तकार है। प्रार्थीगण को अपने खातेदारी, कब्जे काश्त व पट्टा सुदा जोत पर जाने हेतु विप्रार्थीगण के खसरा सं. 223 रकबा 30.00 बीघा एवं खसरा सं. 221 रकबा 79.01 बीघा भूमि मौजा रोहिला में रास्ता दिया जावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गए। तहसीलदार सेड़वा को उपरोक्त चाहे गये रास्ते के संबंध में मौका रिपोर्ट हेतु लिखा गया। पत्रावली न्याय आपके द्वार 2018 राजस्व लोक अदालत / कोर्ट कैम्प सेड़वा में पेश हुई। उभयपक्षकारान उपस्थित हुए। उभयपक्षकारान ने तहसीलदार सेड़वा से आपसी सहमति से मौका रिपोर्ट तैयार कर पेश की गई। विप्रार्थीगण प्रार्थीगण निःशुल्क रास्ता देने हेतु सहमत है। इस हेतु उभयपक्षकारान ने राजीनामा पेश किया। प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते के संबंध में तहसीलदार सेड़वा से मौका रिपोर्ट मय फर्द व नक्शा प्राप्त प्राप्त हुई, जो शामिल पत्रावली की गई। मौका रिपोर्ट का अध्ययन अवलोकन किया गया ।

पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया । सलंग्न दस्तावेजों एवं मौका रिपोर्ट का अध्ययन अवलोकन किया गया। जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है और यह केवल सुविधा जनक उपभोग के लिए नहीं है। इसका कोई

सहायक कलक्टर चौहटन

अन्य विकल्प नहीं है। जैसा कि मौका रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रार्थीगण के खेत से गांव , आबादी, बस स्टेशन , स्कूल आदि तक आवागमन का कोई अन्य रास्ता नहीं है।

अतः प्रार्थीगण की मांग उचित प्रतित होती है और प्रार्थीगण को जो रास्ता दिया जाना है न्याय संगत है। प्रार्थीगण को जो दिया जाना है। उसका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	खसरा संख्या	रकबा बीघा में	किस्म	रास्ते की चौड़ाई फीट में	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि बीघा	मौजा	खातेदार का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	223	30.00	बा.दो.	20 फीट	00.05	रोहिला	कानाराम पुत्र मालाराम वगैरा जाति विश्नोई, सा.देह खातेदार

प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मय फर्द एवं सलंग्न आंशिक नक्शा ट्रेस व फर्द मौका में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रार्थीगण द्वारा वर्णित उपरोक्त खसरा नं. 223 के अंदर से जो रास्ता चाहा गया है वह आंशिक नक्शा में हरा रंग से दर्शाया गया रास्ता प्रार्थीगण को दिया जाता है और इस प्रस्तावित नए मार्ग में कोई मकान व कीमती पेड़ और न ही किसी प्रकार का बेरा/टांका बना हुआ है।

राजस्थान काश्तकारी (सरकारी/संशोधन) नियम 2012 द्वारा अन्तः स्थापित अध्याय 12 के नियम 70(11) (a) में स्पष्ट है कि अगर समझौते से क्षतिपूर्ति राशि का समाधान नहीं होता है तो जिला स्तरीय कमेटी/ डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की दर से प्रभावित पक्षकार को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि दी जाकर प्रार्थीगण को रास्ता दिया जा सकता है। और अन्य कोई पेड़ फसल या संरचना प्रस्तावित रास्ते में हो तो उनकी क्षति की पूर्ति हेतु वास्तविक नुकसान के आधार पर राशि देय होगी।

प्रस्तुत आवेदन में प्रस्तावित नए रास्ते में कोई मकान व कोई कीमति पेड़ या अन्य कोई संरचना नहीं है। चूंकि पक्षकारों में आपसी सहमति हो गई है तथा प्रभावित (पक्षकारों) / विप्रार्थीगण प्रार्थीगण को निःशुल्क रास्ता देने हेतु तैयार है। इसलिए किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान नहीं किया जाना है।

सहायक कलक्टर
चौहटन

प्रार्थीगण के आवेदन की गंभीरता व आत्यांतिक आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुए उनका आवेदन अंतर्गत धारा 251 (ए) की उपधारा (1) – (b) राजस्थान काश्तकारी संशोधित अधिनियम 2010 को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट मय फर्द एवं सलंग्न आंशिक नक्शा ट्रेस हरा रंग से दर्शाया गया 20 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थीगण के पक्ष में दिए जाने का आदेश दिया जाता है। मौका रिपोर्ट मय फर्द व नक्शा निर्णय का अनिवार्य भाग रहेंगे। तथा प्रार्थीगण को उपरोक्त खसरान में से प्रस्तावित नया रास्ता दिये जाने के लिए निम्नलिखित शर्तों की पालना अनिवार्य होगी :–

1. नए प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में **"रास्ता"** के रूप में अभिलिखित की जायेगी। जो कि सार्वजनिक उपयोग के लिए प्रयुक्त होगा।
2. प्रार्थी को उक्त चौड़े रास्ते में केवल रास्ते हेतु प्रयुक्त अधिकारों के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं होंगे।
3. रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरों में से कम करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाएगा।

उक्त शर्तों की पालना के अध्याधीन ही प्रार्थीगण को नया तथा 20 फीट चौड़ा रास्ता दिए जाने का आदेश आज दिनांक 11.06.2018 को लोक अदालत /कोर्ट कैम्प सेड़वा में दिया जाता है। मौका फर्द मय नक्शा निर्णय का अनिवार्य अंग रहेंगे । निर्णय पालना हेतु तहसीलदार सेड़वा को लिखा जावें।

पत्रावली फैसला शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। संख्या से कम हो।

सहायक कलक्टर चौहटन

(भूपेन्द्र कुमार यादव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी चौहटन

नक्शा किश्तवार (आंशिक) ग्राम रोहिला

तहसील - सेड़वा

पैमाना :— 1" = 80 गज

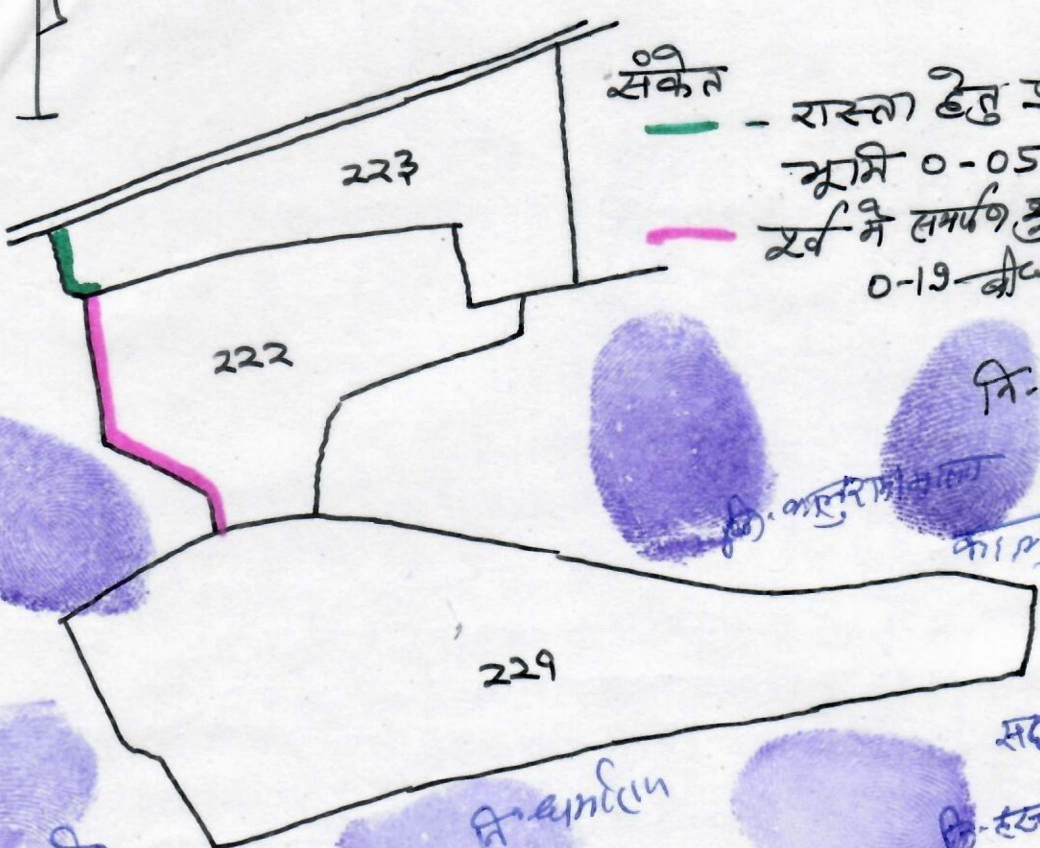

संकेत

— रास्ता हेतु प्रस्तावित भूमि 0-05 बीघा

— पूर्व मे समर्पण शुद्ध भूमि 0-12 बीघा

नि. छैलाल

नि. तुलसाराम

नि. कालूराम

कालू राम

सदराम

नि. हरलाल

नि. हजारा

सत्य-प्रतिलिपि - राज कार्य हेतु नि:शुल्क नकल जारी।

प० सोनड़ी

उपखण्ड अधिकारी चौहटन

नि. जगराम

नि. राजीव

तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा

नि. भोलाराम

भजन लाल

चम्पालाल

PR सोनडी

मौका फर्द दिनांक 2-5-2018

श्रीमान तहसीलदार साहब सेड़वा के आदेश क्रमांक LR/2018/19 दिनांक 2-5-2018 की पालना एवं न्यायालय श्री सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन के राजस्व आवेदन सं० 145/17 अनवान रामलाल वगैरह बनाम कानाराम वगैरह अन्तर्गत रा० का० अधिनियम की धारा 251ए मे मौका रिपोर्ट हेतु मौके पर पहुंचा। मौके पर प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण की उपस्थिति मे ग्राम रोहिला के ख०नं० 223 रकबा 30 बीघा का० दोयम मे से ख०नं० 221 व 222 मे प्रार्थीगण को आवागमन हेतु रास्ता की आवश्यकता है। मौके पर ख०नं० 223 की पश्चिमी मेढ़ के सहारे रास्ता आवागमन हेतु खुला पाया गया। इस प्रस्तावित भूमि पर कोई वृक्ष, मकान एवं टांका बना हुआ नही है। मौके पर आवागमन हेतु रास्ता खुला है। जहां से ख०नं० 221 व 222 के खातेदारान का आना जाना होता है। ख०नं० $\frac{378}{188}$ रकबा 2-10 डी०गु० रास्ता से ख०नं० 221, 222 मे जाने का सबसे कम दूरी का रास्ता जो ख०नं० 223 से गुजरता है।

क्र०सं०	नाम खातेदार	ख० नं०	रकबा बीघा मे	रास्ते की चौड़ाई (फीट मे)	प्रस्तावित रास्ते मे भूमि (बीघा)	DLC दर	रास्ते मे समाविष्ट भूमि की कीमत	भूमि की किस्म
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	कानाराम, बेलाराम, हरूराम, कालूराम पि० मालाराम ¼, हस्चनदराम, तुलछाराम पि० वगताराम ¼, कालूराम, सुजाणाराम, भागीरथ पि० रामूराम ¼, सदराम पुत्र वरीगाराम, हनुमानाराम, भजनलाल, रमेशकुमार पि० जगराम, भूरीदेवी पत्नी जगराम, रामजीवन, चम्पालाल पि० सदराम, मोहन पुत्र श्रीराम ¼ ~~[illegible]~~ कौम विश्नोई सा० देह खातेदार रहन - बेलाराम, हरूराम, कानाराम पि० मालाराम रामजीवन चम्पालाल पि० सदराम, मोहन वल श्रीराम, हस्चनराम (बगल), सुजाणा भागीरथ पि० रामूराम, सदराम वरीगा, हनुमानाराम, भजनलाल, रमेशकुमार पि० जगराम, भूरीदेवी w/o जगराम का हि० SBBJ शाखा चौहटन एवं तुलछाराम व कालूराम s/o मालाराम का हि० रहन SBBJ ग्रुगीफा।	223	30-	20 फीट	0-05 बीघा			बा०दोयम

Court
[signature]
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

[signature]
ILR सेड़वा

[signature]
तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा

खा०नं० 222 रकबा 32-15 बीघा बा०सोयम मे से खातेदारान द्वारा रास्ता हेतु भूमि का समर्पण राज हक मे किया जा चुका है। जिसका रकबा 0-19 बीघा है जहां पर आज मौके पर रास्ता आवागमन हेतु खुला है। खातेदार भागीरथराम पुत्र लाधाराम 1/2 रामजीवन वल्द-चंदा, सुरताराम वल्द कोला 1/2 के खातेदारी है जिसमे से 0-19 बीघा भूमि रास्ता के प्रयोजन हेतु सर्व के समर्पण की जा चुकी है। विप्रार्थीगण रास्ता हेतु जमीन देना चाहते है। परन्तु रास्ता के काम व आने वाली भूमि को [illegible] नि: शुल्क देना चाहते है। मौके पर फर्द तैयार कर उपस्थित के हस्ताक्षर एवं अंगूठा करवाये।

24/5/2018

सुरताराम

भR सोनडी

सोनडी

सदराम

नि० जगराम

नि० रामजीवन

कु०नि० करनाराम

[illegible]

हनुमानराम

(रमेश कुमार)

भजन लाल

कानीपुरी

नि० कैलाराम

चम्पालाल

नि० कालुराम/मालाराम

नि० कानाराम

सतीश

नि० हरचन्द

नि० मुलाजालाल

कालुराम

नि० छगनलाल

नि० तुलछाराम

नि० धर्मालाल

तहसीलदार(भू.अ.)सेड़वा

नि: रामलाल